

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


:: अधिसूचना ::

पटना, दिनांक 03.03.2017

संख्या-7/डी०4-301/2000, सा०प्र० 2658/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-3804 दिनांक 20.01.2017 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री मो० परवेज आलम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना सम्प्रति प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त करते हुए उनकी सेवायें सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, बिहार, पटना के पद पर योगदान की तिथि से पदस्थापन हेतु विधि विभाग को सौंपी जाती है।

2. श्री आलम की प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि तीन वर्षों की होगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से



(गुफरान अहमद)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/डी०4-301/2000, सा०प्र० 2658/पटना-15, दिनांक 03.03.2017
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-7/डी०4-301/2000, सा०प्र० 2658/पटना-15 दिनांक 03.03.2017
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को, उनके पत्रांक-3804 दिनांक 20.02.2017 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना/संबंधित न्यायिक पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।

Sunit
03.03.2017